UPSR010009582026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, श्रावस्ती

पीठासीन अधिकारी– दिनेश चन्द, (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06538

दाण्डिक निगरानी संख्या 34/2026

श्रीमती सुमित्रा सिंह उम्र 38 वर्ष पत्नी रामकुमार,
निवासी महजिदिया, दा0 भलुहिया दसौधी, थाना इकौना, जनपद श्रावस्ती
——— निगरानीकत्री/आवेदिका

बनाम

1. राज्य उ0 प्र0, द्वारा डी0 जी0सी0 (क्रिमिनल), श्रावस्ती
2. मुन्शी उम्र 46 वर्ष पुत्र नानमून,
3. चन्दन सिंह उम्र 34 वर्ष पुत्र बृजकिशोर,
निवासीगण ग्राम मोहनीपुर, थाना इकौना, जनपद श्रावस्ती
4. अमिरका उम्र 37 वर्ष पुत्र राम मिलन,
ग्राम पसियनपुरवा, दा0 इकौना, जनपद श्रावस्ती
5. बाबूलाल उम्र 38 वर्ष पुत्र राम उजागर यादव,
ग्राम लोहानपुरवा, थाना इकौना, जनपद श्रावस्ती
6. मालिकराम उम्र 45 वर्ष पुत्र श्यामता,
ग्राम पड़री, परगना इकौना, तहसील पयागपुर, जनपद बहराइच
———————— विपक्षीगण

निर्णय

1. प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी, अन्तर्गत धारा 438 बी0 एन0 एस0 एस0 न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, श्रावस्ती द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173 (4) बी0 एन0 एस0 एस0 क्रिमिनल मिसलेनियस संख्या 1330/2025 सुमित्रा सिंह बनाम मुन्शी आदि थाना इकौना, जिला श्रावस्ती में पारित आदेश दिनांकित 19.03.2026 से क्षुब्ध होकर संस्थित की गयी है, जिसके द्वारा निगरानीकत्री/आवेदिका का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173 (4) बी0 एन0 एस0 एस0 खारिज किया गया है।

2. संक्षेप में दाण्डिक निगरानी से सम्बन्धित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिनी एक किता भूमि गाटा संख्या 231 रकबा 0.404 हे0 20 गुणे 119.3 जिसकी लम्बाई पूरब पश्चिम 119.9 फुट व चौड़ाई 20 फुट उत्तर दक्षिण कुल क्षेत्रफल 2398 वर्गफुट यानि 222.86 वर्गमीटर अर्थात 0.0022 हे0 सम्पूर्ण अंश मौजा मोहनीपुर, तहसील इकौना, जनपद श्रावस्ती का पंजीकृत बैनामा खातेदारियां रामकुमारी पत्नी राम कुमार निवासी मंहगीलालपुरवा, दा0 बालापुर, परगना इकौना, तहसील पयागपुर, जनपद बहराइच से

Digitally signed by DINESH CHAND
Date: 2026.08.10 16:15:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

सम्पूर्ण प्रतिफल अदा कर दिनांक 30.07.2025 को उप निबन्धक कार्यालय इकौना में रूबरू गवाहान पंजीकृत कराया था और बतौर दाखिल खारिज प्रार्थिनी दर्ज कागजात खतौनी हुई। विक्रीत भूमि के तिथि से ही उपरोक्त आराजी पर प्रार्थिनी काबिज व दखील चली आ रही है, किन्तु प्रार्थिनी के उक्त भूमि को पूर्व खातेदार विपक्षी संख्या 1 जो निहायत चालाक भू–माफिया एवं फितरती किस्म का व्यक्ति है, जिसने पुनः फर्जी तरीके से हड़प करने के उद्देश्य से प्रार्थिनी की चौहद्दी के साथ हेरा फेरी की विपक्षी संख्या 2 ता 5 के साथ सांठ गांठ करके आपस में मिली भगत चोरी चुपके प्रार्थिनी के उक्त भूमि को दोबारा बैनामा जाल फ्राड एवं कूटरचित दस्तावेज तैयार कराकर विपक्षी संख्या 2 व 4 के हक में धोखे से बैनामा जानबूझकर कर दिया। विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 2 से दिनांक 29.05.2025 को तथा विपक्षी संख्या 3 को दिनांक 28.05.2025 को विपक्षी संख्या 4 व 5 को गवाहान बनाकर फर्जी बैनामा कर दिया। विपक्षीगणों का उक्त कृत्य निहायत जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है। जिसे उन्होंने छल कपट जाल फ्राड दस्तावेज तैयार किया है। क्योंकि पूर्व खातेदार विपक्षी संख्या 1 ने जब प्रार्थिनी के विक्रेती राम कुमारी को दिनांक 18.07.2018 को जब बैनामा किया तो उसने बैनामें की चौहद्दी उत्तर उस्ताज तथा दक्षिण में अपना खेत दिखाया था और जब विपक्षी संख्या 1 ने सुभाकर को भूमि का विक्रय किया तो चौहद्दी में उत्तर रामकुमारी का होना दिखाया जबकि उसने सुभाकर को राम कुमारी से सटी हुयी भूमि का विक्रय किया था। विपक्षी संख्या 1 ने जब विपक्षी संख्या 3 को बैनामा किया तो उसने बैनामें की चौहद्दी में उत्तर में अपना स्वयं का तथा सुभांकर को दक्षिण होना दिखाया हैं और जब विपक्षी संख्या 1 ने विपक्षी संख्या 2 को बैनामा किया तो बैनामे की चौहद्दी में उसने उत्तर खेत उस्ताज दिखाया जिसे पूर्व से ही विपक्षी संख्या 1 ने प्रार्थिनी विक्रेती राम कुमारी के बैनामें में विपक्षी संख्या 1 द्वारा दिखाया जा चुका है तथा दक्षिण अमिरका को दिखाया है। इस प्रकार विपक्षी संख्या 1 ता 5 एक राय होकर जाल फ्राड कर धोखे एवं कपट पूर्ण ढंग से प्रार्थिनी की भूमि को छल करके दोबारा हड़प करने के उद्देश्य से जानबूझकर मिली भगत से कूटरचित दस्तावेज तैयार कराया और चौहद्दी में हेरा फेरी किया गया। प्रार्थिनी द्वारा दिनांक 23.07.2025 को जो बैनामा रामकुमारी से क्रय किया था जिसमें विपक्षी संख्या 1 के द्वारा ही विक्रय किया था उसी आधार पर बैनामें की चौहद्दी दिखायी है। उसे हड़प करने के उद्देश्य से विपक्षीगण प्रार्थिनी को जानबूझकर आर्थिक क्षति पहुंचाने की कोशिश की गयी है। दिनांक 18.08.2025 को सुबह 8 बजे विपक्षीगण एक राय होकर प्रार्थिनी के शान्तिपूर्ण कब्जे वाली भूमि पर आये और उस पर बुनियाद खोदकर अवैध कब्जा व निर्माण करने का प्रयास करने लगे जिसे प्रार्थिनी ने रोका तो विपक्षीगण प्रार्थिनी को गन्दी गन्दी गालियां देकर अमादा फौजदारी हो गये और जान से मार देने की धमकियां देने लगे किन्तु मौके पर तमाम लोगों ने बीच बचाव कराया और 112 नम्बर डायल कर पुलिस बुलाई तो कुछ विपक्षीगणों को पुलिस पकड़ ले गयी जिस पर थाना हाजा द्वारा अन्तर्गत धारा 170,

135, 126 बी0 एन0 एस0 के तहत कार्यवाही की गयी शेष विपक्षीगण फरार हो गये किन्तु प्रस्तुत मामले में जाल फ्राड का कोई भी मामला थाना हाजा द्वारा जानबूझकर पंजीकृत नहीं किया गया। विपक्षीगण खुले आम घूम रहे है। प्रार्थिनी के साथ अप्रिय घटना कारित करने की धमकियां दे रहे है। प्रार्थिनी ने घटना की सूचना थाने पर दिया किन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई तब प्रार्थिनी ने पुलिस अधीक्षक, श्रावस्ती को रजिस्टर्ड डाक से घटना की सूचना दिया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई तो प्रार्थिनी ने न्यायालय पर प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173 (4) बी0 एन0 एस0 एस0 प्रस्तुत किया। अतः प्रार्थना है कि घटित घटना के सम्बन्ध में विपक्षीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुये कठोर कार्यवाही कराने की कृपा करें।

3. प्रार्थिनी के उक्त प्रार्थनापत्र पर विद्वान विचारण न्यायालय ने उनके विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का परिशीलन करने के पश्चात अपने आलोच्य आदेश दिनांकित 19.03.2026 के द्वारा निगरानीकत्री/प्रार्थिनी का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173 (4) बी0 एन0 एस0 एस0 खारिज कर दिया। इसी आदेश से क्षुब्ध होकर निगरानीकत्री ने यह दाण्डिक निगरानी प्रस्तुत किया है।

4. निगरानीकत्री ने अपने निगरानी में यह आधार लेते हुये कथन किया गया है कि प्रार्थिनी का प्रार्थनापत्र आपराधिक प्रकृति का रहते हुये बिना गम्भीरता से लिये निरस्त कर देना न्याय संगत नहीं है, पारित आदेश त्रुटिपूर्ण है। दिनांक 27.02.2026 को प्रार्थिनी के अधिवक्ता द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष बहस सुनाई, बहस सुनने के पश्चात उक्त पत्रावली करीब डेढ़ माह तक चेम्बर में ही आदेश हेतु पड़ी रही। प्रार्थिनी व उसके अधिवक्ता लगातार आदेश का पता लगाते रहे परन्तु कोई पता न चल सका। अन्त में दिनांक 25.03.2026 को पारित आदेश की जानकारी हुयी। उक्त आदेश विधि विधान के विपरीत है। विचारण न्यायालय द्वारा जानबूझकर आदेश पारित करने में जो निष्क्रियता दिखायी है उस पर प्रश्नचिन्ह लगाना बेहद जरूरी है। क्योंकि विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को गम्भीरता से न लेते हुये लोचकता एंव शिथिलता वर्ती है, जो आदेश पारित करने में अत्याधिक देरी व इन्तजारी की वह न्याय की हत्या के कोटि में आता है जो अपराध को बल प्रदान करने जैसा है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थिनी के प्रार्थनापत्र को इस आधार पर की मामला सिविल प्रकृति का है तथा सिविल मामला लम्बित है रद्द किया गया जो न्याय संगत नहीं है। क्योंकि प्रार्थिनी के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में धोखाधड़ी, बेईमानी एवं जालसाजी जैसे महत्वपूर्ण तत्व विद्यमान है और जिसका प्रमुख कारण प्रार्थिनी के भूमि को हड़पना है जिस पर विचारण न्यायालय ने संज्ञान नहीं लिया है। चूंकि उक्त भूमि प्रार्थिनी के नाम दर्ज कागजात है और प्रार्थनी मौके पर काबिज है विपक्षी संख्या 3 व 4 के नाम अभी क्रय शुदा भूमि की दाखिल खारिज भी नहीं हुआ है किन्तु वे काफी दबंग व असरदार व्यक्ति है जो अक्सर प्रार्थिनी की भूमि को अवैध कब्जा करने तथा हड़प कर विक्रय करने की धमकियां दे रहे है। प्रार्थिनी बेहद पर्दानशीन एवं असहाय तथा सीधी महिला है विपक्षीगण से टक्कर लेने में

असमर्थ है। अतः प्रार्थना है कि निगरानीकत्री की निगरानी उपरोक्त तथ्यों के आधार पर स्वीकार किया जावे।

5. निगरानीकत्री की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी में उल्लिखित आधारों के आलोक में यह तर्क प्रस्तुत किये गये है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तथ्यों के पूर्णतया विपरीत है। विचारण न्यायालय द्वारा बिना न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग किये आलोच्य आदेश पारित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करते समय महत्वपूर्ण तथ्यात्मक त्रुटि की गयी है। विचारण न्यायालय में निहित क्षेत्राधिकार का विधि संगत रूप से प्रयोग नहीं किया गया है। प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173 (4) बी0 एन0 एस0 एस0 में वर्णित तथ्यों से प्रथम दृष्ट्या संज्ञेय अपराध कारित होना दर्शित होता है, जिसके सम्बन्ध में विवेचना का आदेश पारित न करके निरस्त किये जाने का आदेश पारित कर विचारण न्यायालय द्वारा विधिक त्रुटि कारित की गयी है। निगरानीकत्री की ओर से उपरोक्त आधारों पर निगरानी स्वीकार करते हुये विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 19.03.2026 आपास्त किये जाने की याचना है।

6. विपक्षी संख्या 2 ता 6 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुये यह तर्क दिया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन करने के उपरान्त आलोच्य आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधता, अशुद्धता या अनियमितता नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश पूर्णतया विधि सम्मत है, जिस कारण उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता दर्शित नहीं होती है। उपरोक्त आधारों पर निगरानी निरस्त किये जाने की याचना है।

7. विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा निगरानी को बलहीन होना कहा गया और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को पुष्ट किये जाने की याचना करते हुये निगरानी निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

8. उभय पक्षों के तर्कों को सुना व विचारण न्यायालय से आहूत तलबशुदा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

9. प्रस्तुत निगरानी में निगरानी न्यायालय को विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में शुद्धता, वैधता एवं औचित्य सम्बंधी त्रुटि पर विचार करना है।

10. प्रश्नगत मामले में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 19.03.2026 को पारित आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गयी है। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि आवेदिका द्वारा प्रार्थनापत्र में किये गये कथनों तथा प्रारम्भिक जांच आख्या व संलग्न प्रपत्रों के अवलोकन से प्रस्तुत मामले में मुख्य रूप से आवेदिका व विपक्षीगण के मध्य भूमि के बैनामों व चौहद्दी को लेकर विवाद होना प्रकट होता है, जो कि सिविल प्रकृति का है और उक्त के सम्बन्ध में

विपक्षी संख्या 3 अमिरका द्वारा आवेदिका के विरूद्ध सिविल वाद संख्या 189/2025 अमिरका बनाम सुमित्रा सिंह आदि न्यायालय सिविल जज (प्रवर खण्ड) श्रावस्ती में विचाराधीन है। ऐसा परिलक्षित होता है कि आवेदिका के विरूद्ध योजित सिविल वाद में दबाव बनाने के आशय से प्रार्थना पत्र को आपराधिक स्वरूप प्रदान करते हुये विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आधार पर यह साबित होता है कि आवेदिका ने विपक्षीगण पर दबाव बनाने के उद्देश्य से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 173 (4) बी0 एन0 एस0 एस0 प्रस्तुत किया गया है। अतः आवेदिका द्वारा विधिक राय के आधार विपक्षीगण पर दबाव बनाने की नियत से वाद योजित किया जाना साबित होता है। इस सम्बन्ध माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **प्रियंका श्रीवास्तव बनाम राज्य उ0प्र0 में पारित विधि व्यवस्था क्रिमिनल अपील न0 781/2012** में यह अवधारित किया गया है कि न्यायालय की प्रक्रिया को किसी व्यक्ति के प्रति दबाव बनाने अथवा शोषण करने हेतु हथियार के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसी सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय **सागर सूरी व अन्य बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य 2000 (vol.।) एससीसी 635** यह अवधारित किया गया है कि प्रथमदृष्टया कोई तथ्य व्यवहारिक प्रकृति का है तो यदि उसे दाण्डिक स्वरूप देकर विधि के अन्तर्गत अनुतोष प्राप्त करने के लिये वाद प्रस्तुत किया गया है तो वह विधिक प्रक्रिया का दुरूपयोग होगा क्योंकि दाण्डिक प्रक्रिया व्यवहारिक अनुतोष के लिये छोटा रास्ता नहीं हो सकता। इसी सम्बन्ध में **नत्थू व अन्य प्रति उत्तर प्रदेश राज्य, (2016) जे0 आई0 सी0 326 इलाहाबाद** की विधि व्यवस्था में दिया गया है कि पुनरीक्षण न्यायालय को अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश में पुनरीक्षण न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करते हुये विशिष्ट परिस्थितियों में ही हस्तक्षेप किया जाना चाहिये जब तक कि अवर न्यायालय के आदेश में विधि सम्बन्धी कोई गम्भीर अवैधता या अनियमितता दर्शित न होती हो। इसी सम्बंध में **अमित कपूर बनाम रमेश चन्द्र 2012 (9) एस. सी. सी. 407 एवं विनय त्यागी बनाम इरशाद अली (2013) 5 एस.सी.सी 762** का संदर्भ लिया जाना समीचीन प्रतीत होता है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि पुनरीक्षण न्यायालय को मजिस्ट्रेट न्यायालय के **(finding of fact)** को पलटकर अपनें **findings** को **substitute** करनें का क्षेत्राधिकार नहीं है। पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत पुनरीक्षण न्यायालय को सीमित अधिकारिता के अन्तर्गत विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में शुद्धता, वैधता एवं औचित्यता सम्बंधी त्रुटि पर विचार करना होता है। इस प्रकार विद्वान अवर न्यायालय का उक्त आदेश युक्तियुक्त प्रतीत होता है एवं उक्त आदेश में किसी प्रकार की शुद्धता, वैधता एवं औचित्यता सम्बंधी कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

11. अतः विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आलोच्य आदेश पूर्णतया विधि संम्मत है तथा

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अनुरूप दर्शित होता है, जिसमें किसी प्रकार की कोई प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सारभूत विधिक त्रुटि, अनियमितता या अवैधता दर्शित नहीं होती है। अवर न्यायालय द्वारा निकाले गये तथ्यात्मक निष्कर्षो में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

12. अतः प्रस्तुत मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं माननीय निर्णयजों को दृष्टिगत् रखते हुये विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दि0 19.03.2026 पूर्णतया विधि सम्मत है, इसमें इस स्तर पर किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, तदनुसार यह निगरानी निरस्त किये जानें योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निरस्त की जाती है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 19.03.2026 को पुष्ट किया जाता है। आदेश की प्रति सहित विचारण न्यायालय की पत्रावली अबिलम्ब सम्बन्धित न्यायालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजी जाय।

दाण्डिक निगरानी नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 10.08.2026

(दिनेश चन्द)
सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती।

आज खुले न्यायालय में यह निर्णय मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित करके उद्घोषित किया गया।

दिनांक 10.08.2026

(दिनेश चन्द)
सत्र न्यायाधीश
श्रावस्ती।